an>

Title: Demand for change in legislation to give justice to the inmates / victims of wrongful prosecution.

श्री अनुभव मोहंती (केन्द्रपाड़ा): महोदय, लोकसभा में चुनकर आने से पहले मैं राज्य सभा का सदस्य रह चुका हूं। I am really honoured and blessed for this. उस वक्त मैं एम्पावर्नमेंट ऑफ वूमेन स्टैंडिंग कमेटी का मैम्बर था। तब मुझे तिहाड़ जेल जाने का मौका मिला था। वहां कैदी किस तरह रह रहे हैं, स्पेशली वूमेन, तब हमने देखा और हमें जो रिपोर्ट मिली, उसके अनुसार ऐसी बहुत महिलाएं और लड़कियां हैं जो अंडर ट्रायल काफी सालों से जेल में हैं। एक गलती की सज़ा लॉ में तीन साल होती है, लेकिन कई लोग अंडर ट्रायल पांच या दस साल रह चुके हैं। मैं आपको रिसेंटली एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं, विष्णु तिवारी ललितपुर गांव से हैं। वर्ष 2000 की बात है, जब इनको गलत रेप केस की वजह से कोर्ट के ऑर्डर के बाद से जेल भेज दिया गया। He was sentenced to life imprisonment for a crime, and he was led off recently. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनको बाइज्ज़त बरी किया। वह 23 साल की उम्र में जेल गए थे, 20 साल जेल काटने के बाद अब वे 43 साल के हैं और अब कोर्ट ने इनको बरी किया है क्योंकि वह रेप केस फॉल्स था। अब उन्होंने अपने पूरे परिवार को खो दिया। वे अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाए। वह मान-सम्मान, इज्ज़त, उम्र, हैल्थ, वक्त और सामाजिक स्थिति सब खो चुके हैं।

मेरी एक छोटी सी विनती है - The victims of wrongful prosecution demand a change in legislation with proper checks and balances to ensure non-concurrence of the same. The National Human Rights Commission in 2020 recommended concealing the identities of sexual offenders until proven guilty. A Report (277) by the Law Commission of India (2018) expressed grave concerns regarding such cases and subsequently suggested amending the CrPC, 1973 with key recommendations and changes in the legislative framework along-with speedy settlement of such cases.

महोदय, हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। The duty of defence towards its innocents tilts heavier than the offence on the sinners, and the Prison Statistics India had stated 67.2 per cent prisoners as under trials. हिंदुस्तान का कांस्टीटूएशन हमें राइट देता है - prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. भारत के संविधान का सम्मान करते हुए इस पर गौर करना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पर बहुत गहराई से सोचे।